(ख) खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला

ईएमजी, बायोफीडबेक, व्यक्तित्व, उत्सुकता, समूह तालमेल, आक्रोश, अभिप्रेरण, मानसिक कठोरता आत्मसम्मान, नियंत्रण क्षेत्र पर प्रश्नावलियाँ तथा ऐसी ही अन्य प्रश्नावलियां, पाठ्य–विवरण सामग्री, गहन बोध उपकरण प्रत्याशा, आकलन उपकरण, फिंगर डेक्सटेरिटी टेस्ट की आवश्यकता के अनुसार।

(ग) खेल बायो–मेकेनिक्स प्रयोगशाला

कोर्स प्लेट (नवीनतम मोड्यूल पूर्ण सेट), इलेक्ट्रानिक गोनिओमीटर (नवीनतम माड्यूल), गैट इनेलीसिस सिस्टम, किसी भी समय कहीं भी वैकल्पिक प्रेशर प्लेट।

(घ) माप और खेल प्रशिक्षण प्रयोगशाला

डिजिटल बैंक/लैग डायनामोमीटर, डिजिटल हैण्ड ग्रिप डायनामोमीटर (प्रौढ और बच्चे), स्किन कोल्डकोपिलरी, एन्थ्रोपोमीटरी किट (कम्प्यूटर) स्लाइडिंग और स्प्रेडिंग, क्लिपर, गर्थ माप – गोनिओमीटर, स्टील टेप्स, प्लेक्सोमेजर, हीथर रेट मानीटर वेइंग मशीन, रीएक्शन टाइम एपेरेटस (दृष्य तथा श्रृव्य), फूड एण्ड हैण्ड रिएक्शन, टाइम सपेरेटस वाईब्रेटर्स।

(ड) **योग कियाओं के लिए सुविधाएं** – योग मेट

6.3 सांस्कृतिक कार्यकलाप

विभिन्न कार्यकलापों के लिए, जब भी आवश्यक हो, उपयुक्त और पर्याप्त यंत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। छोटे–मोटे खेलों, मनोरंजन खेलों, रीलेज और काम्बेटिव खेलों के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर जरूरत और विशेषज्ञता के आधार पर खरीदे जाने चाहिएं।

6.4 अन्य सुविधाएं

(क) शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।

(ख) वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ग) संस्थान में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(घ) कैम्पस की नियमित सफाई, पानी और शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था (पुरूष और महिला छात्रों और शिक्षकों के लिए अलग–अलग), फर्नीचर व अन्य उपस्करों की मरम्मत और बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

टिप्पणी : यदि एक ही संस्थान द्वारा उसी कैम्पस में शिक्षा में एक से अधिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो खेल के मैदान, बहुप्रयोजन हॉल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं में (पुस्तकों और उपस्करों में आनुपातिक वृद्धि के साथ) तथा शिक्षण स्थान में भागीदारी की जा सकती है। पूरे संस्थान के लिए संस्थान का एक प्रिंसीपल होगा तथा भिन्न–भिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए संस्थान में अध्यक्षों की व्यवस्था की जा सकती है।

7. प्रबंधन समिति

संस्थान की एक प्रबंधन समिति होगी जिसका गठन संबंधन विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के नियमानुसार किया जा सकता है । ऐसे नियमों के अभाव में, संस्थान द्वारा अपनी एक प्रबंधन समिति गठित की जाएगी । समिति में प्रायोजक सोसायटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शारीरिक शिक्षाविद्, संबंधन विश्वविद्यालय और स्टाफ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

परिशिष्ट–9

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रद्धति के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के मानक और मानदण्ड

1. प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित किया जाने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) में कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता का स्तरोन्नयन करना है। साथ ही इस पाठ्यक्रम में उन अध्यापकों को शामिल करने की परिकल्पना भी की गई है जिन्होंने औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण के बिना व्यवसाय में प्रवेश किया है। यह कार्यक्रम कक्षा I से VIII तक के अन्य हेतु प्रारंभिक कक्षाओं के अध्यापकों को तैयार करवाता है। इस कार्यक्रम का मिश्रित उपयोग डिजाइन, विकास तथा उसके निष्पादन हेतु किया जाएगा।

1. संस्थानों की पात्रता तथा क्षेत्रीय अधिकार–क्षेत्र

2.1 संस्थानों की पात्रता

इस अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए जो संस्थान पात्र है वे है विशेष रूप से राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा निदेशालय, यूजीसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के मुक्त तथा दूर अधिगम स्कूल जिनकी स्थापना; ओडीएल कार्यक्रम चलाने के लिए की गई है सम विश्वविद्यालय कृषि, तकनीकी या संबंद्ध विश्वविद्यालय जिनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र अध्यापक शिक्षा न हो कर कोई और है, और अन्य विषय क्षेत्र विश्वविद्यालय या संस्थान ओडीएल पद्धति से अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए पात्र नहीं है।

2.2 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों का अधिकारक्षेत्र वही होगा जो उनके अधिनियम में परिभाषित है अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

उस विश्वविद्यालय/संस्थान के अध्ययन केंद्र भी उन के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में स्थित होंगे।

2. अवधि

इस कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र/वर्ष होगी। तथापि, विद्यार्थियों को यह छूट होगी कि वे कार्यक्रम को अधिक से अधिक पांच वर्ष तक की अवधि में पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम का आरंभ तथा समाप्ति इस प्रकार विनियमित होगी कि अध्येताओं को निर्देशित/पर्यवेक्षित शिक्षण अथवा आमने– सामने संपर्क सूत्रों के लिए अवकाश की दो लम्बी अवधियां उपलब्ध हो सकें। ये अवधियां (ग्रीष्म अवकाश, शीत अवकाश या भिन्न भिन्न में) हो सकती हैं। यह कार्यक्रम आमने–सामने के दो ग्रीष्म अवकाश के मध्य भी रखा जा सकता है जो(अपनी इच्छानुसार और अपनी गति से किए गए स्वअध्ययन से अतिरिक्त होगा।)

4. दाखिला क्षमता, पात्रता तथा फीस

4.1 दाखिला

इस डी.एल.एड. कार्यक्रम में प्रवेश की मूल इकाई पांच सौ विद्यार्थियों से अधिक नहीं होगी। इसके साथ यह शर्त होगी कि एक अध्ययन केंद्र में एक सत्र में 100 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होगा। अतिरिक्त इकाइयों के लिए अनुरोध एनसीटीई द्वारा इस आधार पर परखा जाएगा कि क्या उस संस्थान के पास उनके क्षेत्रीय अधिकार–क्षेत्र में अध्ययन केंद्रों तथा संबंधित सहायता सेवाओं के रूप में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं।

4.2 पात्रता

(i) ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

(ii) ऐसे अध्यापक जिनके पास सरकारी अथवा सरकारी मान्यताप्राप्त प्राथमिक/प्रारंभिक स्कूल में दो वर्ष के अध्यापन का अनुभव प्राप्त हो।

(iii) इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी कार्यरत अध्यापक होना अनिवार्य है तथा अपना आवेदन–पत्र अपने स्कूल के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित करवाना चाहिए।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा आरक्षण केंद्रीय/राज्य सरकार, जो भी लागू हो, के नियमानुसार होगा।

4.3 प्रवेश प्रक्रिया

अभ्यर्थियों के चयन के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था एक उपयुक्त प्रक्रिया का विकास करेगी।

4.4 फीस

संस्थान केवल वही फीस लेगी, जो संबंधन निकाय द्वारा निर्धारित की गई हो। ली गई फीस राअशिप के अधिनियम, 2002 के प्रावधानों (गैर–सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ट्युशन फीस तथा अन्य शुल्क संबंधी अधिनियमों के मार्गदर्शी सिद्धांत) के अनुसार, जो समय–समय पर संशोधित होगी। ये संस्थान किसी भी रूप में दान, प्रति व्यक्ति शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।

5. अध्ययन–केंद्र के लिए पात्रता

(क) केवल निम्नलिखित वर्ग के संस्थान अध्ययन–केंद्र चलाने के योग्य होंगीः

एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त वे वर्तमान अध्यापक शिक्षा संस्थान, जो नियमित प्रणाली से वही कार्यक्रम चला रहे हैं और उनके पास सभी प्रकार की आधारिक तथा स्टाफ, राअशिप के प्रतिमानों के अनुकूल है। ये संस्थान ऐसे हों जो पिछले पांच वर्षों से संगत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसे संस्थान, जिन्हें किसी भी विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के लिए अध्ययन केंद्र बनाया गया है, उन्हें किसी अन्य कार्यक्रम के लिए अध्ययन केंद्र बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह कार्यक्रम उस विश्वविद्यालय/संस्थान का हो या किसी अन्य का।

(ख) (i) किसी अध्ययन केंद्र के निर्धारित विद्यार्थियों की संख्या एक सौ (100) से अधिक नहीं होगी (प्रथम वर्ष के पचास तथा द्वितीय वर्ष के पचास), (ii) अध्ययन केंद्र उसके लिए निर्धारित/दूरस्थ अध्येताओं को केंद्र के पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा अन्य भौतिक सुविधाएं प्रदान करेगा, (iii) ओडीएल संस्थान (विश्वविद्यालय) का क्षेत्रीय केंद्र भी अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम से कम एक सौ (प्रथम वर्ष के 50 तथा द्वितीय वर्ष के 50) होगी।

(ग) अध्यापक केन्द्र के विभिन्न क्रियाकलापों में प्रवृत्र अध्यापक प्रक्षिण/पर्यवेक्षक/शैक्षणिक सलाहकार राअशिप मानदडों के अनुरुप पूर्वतः अर्हता प्राप्त होगें।

(घ) अध्ययन केंद्रों के क्रियाकलाप से संबद्ध सभी अधिकारियों का समय–समय पर, परंतु वर्ष में एक बार ओडीएल प्रणाली से विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा दिशा अनुकुलन अवश्य कराया जाएगा।

(ङ) किसी भी कार्यक्रम में अतिरिक्त दाखिले के अनुरोध की राअशिप द्वारा अध्यापक केन्द्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं तथा संस्थान के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से सबंधित सहयोग की उपलब्धता के आधार पर जांच की जाएगी।

6. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन

6.1 पाठ्यचर्या

ओडीएल विधि में डी.एल.एड. पाठ्यचर्या वही होगी, जो नियमित (आमने–सामने) में डी.एल.एड. की पाठ्यचर्या है। शिक्षास्व–अधिगम सामग्री जो कि दूरस्थ परिषद्/ब्यूरो द्वारा अनुमोदित कि गई हो का ही प्रयोग संस्थान करेगा।

6.2 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

(क) विश्वविद्यालय या संस्थान स्वयं पाठ्यचर्या आधारित श्रव्य–दृश्य संसाधनों का विकास करेंगी या ऐसे संसाधनों को अन्य संस्थानों करेंगे अथवा ओईआर से लेकर उनको रूपांतरित कर अपने अनुकूल बनाएगें और इन श्रव्य–दृश्य संस्थानों को मुख्यालय, अध्ययन केंद्र एवं क्षेत्रीय केंद्रों पर सुलभ कराएंगे। राज्य संसाधन केंद्रों (एसआरसी), राज्य सरकारों तथा मुक्त विश्वविद्यालयों में उपलब्ध टेलीकान्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग भी किया जा सकता है।

(ख) यह कार्यक्रम एक सम्मिश्रित रूप में संपादित किया जाएगा। इसके लिए संसाधन–आधारित स्व–अधिगम, आमने–सामने परामर्श, कार्यशालाओं तथा प्रौद्योगिकी–समर्थित अंतःक्रिया और अधिगम के घटकों को विवेकपूर्ण ढंग से मिलाया जा सकता है।

(ग) *स्व–अधिगम सामग्री :* यह कार्यक्रम पूर्ण व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ संचालित किया जाएगा। स्व–अधिगम सामग्री, मुद्रित तथा गैर–मुद्रित – अनुदेशात्मक अभिकल्पन तथा स्व–अधिगम के शिक्षा–शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए तथा यह समुचित रूप में डी.ई.सी. (दूरस्थ शिक्षा परिषद्) द्वारा अनुमोदित हो। एक सम्मिश्रित अधिगम दृष्टिकोण (प्रविधि तथा मीडिया का समेकन) का उपयोग किया जाना चाहिए। पाठ्यसामग्री मोड्युलर तथा क्रेडिट–आधारित होनी चाहिए।

अध्ययन सामग्री अध्येताओं को कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुकूल चरणबद्ध रूप में सत्र के आरंभ में ही दे दी जाएगी।

(घ) *संपर्क कार्यक्रम :* दो वर्ष की अवधि के इस कार्यक्रम में विद्यालय आधारित क्रियाकलाप तथा शिक्षण अभ्यास के अतिरिक्त, संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्श और कार्यशालाएं, सेमिनार प्रस्तुतीकरण, रिपोर्ट लेखन इत्यादि आते हैं। इनका संचालन अध्येताओं की सुविधानुसार मुख्यालय या अध्ययन केंद्र पर 6 महीने की कुल अवधि के लिए किया जाना चाहिए। वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जाना चाहिए:

(ङ) *शैक्षणिक परामर्श :* शैक्षणिक परामर्श सत्र कार्यक्रम की समस्त अवधि में फैला दिए जाने चाहिए और अध्येताओं की आवश्यकताओं और सुविधानुसार नियमित आधार पर संचालित किए जाने चाहिए। इन परामर्श सत्रों में अध्येताओं की शैक्षणिक और पाठ्यक्रम से संबंधित वैयक्तिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। परामर्श सत्रों का उपयोग अध्येताओं को विषय–वस्तु संबंधी कठिनाई, क्षेत्र कार्य, शिक्षण अभ्यास, प्रदत्त कार्य वैयक्तिकृत (असाइनमेंट), शोध निबंध, समय प्रबंधन, अध्ययन कौशल इत्यादि से संबंधित व्यक्तिकृत निर्देशन के लिए किया जाएगा। परामर्श सत्रों के लिए कम से कम 144 अध्ययन घंटे, जो पूरे दो वर्ष की अवधि तक फैले हों, दिए जाएंगे। परामर्श सत्रों का आयोजन ट्यूटोरियल के रूप में किया जाएगा न कि अध्ययन सत्रों के रूप में, क्योंकि अध्यापन का कार्य तो दी गई अधिकतम सामग्री कर देगी।

(च) *कार्यशालाएं :* कार्यशालाओं में अध्येता उन सक्षमताओं या योग्यताओं को ग्रहण करेगा जिनकी अपेक्षा एक अध्यापक अथवा अध्यापक–शिक्षक से होती है। अतः वे व्यक्तिगत रूप में अथवा समूह में अपने आपको कुछ क्रियाकलाप में परियुक्त रखेंगे। अध्ययन केंद्र का यह दायित्व होगा कि वह पूर्ण कक्षाओं में अथवा अनुरूपित अवस्थितियों में शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था करे। अध्येताओं को आईसीटी के निर्माण और उपयोग में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्य के लिए उन्हें अध्ययन सहायक सामग्री, शोध उपकरण कार्यपत्रक, पाठ्य इकाइयां, प्रदत्त कार्य, मूल्यांकन शीर्षक आदि के निर्माण में सम्मिलित या परियुक्त किया जाएगा। अध्येताओं को जो कुछ उन्होंने सैद्धांतिक विषयों में सीखा है और जिसकी उनसे कक्षा में करने की अपेक्षा है, उसका अभ्यास करने के लिए यथोचित व पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। दो वर्ष की अवधि में कुल 12 दिन प्रतिदिन 6 घंटे की कुल दो कार्यशालाएं (प्रति वर्ष एक) आयोजित की जाएंगी। अर्थात कार्यशालाओं के प्रति कम से कम 144 घंटे समर्पित होंगे।

(छ) *विद्यालय आधारित क्रियाकलाप :* ओडीएल पद्धति के माध्यम से डी.एल.एड. करने वाले अध्येताओं को उन क्रियाकलाप में सम्मिलित किया जाएगा जो एक अध्यापक विद्यालय में संपादित करता है। विद्यालय आधारित क्रियाकलाप का जिक्र बी.एड. के पाठ्यचर्या ढांचे में किया गया है। विद्यालय–आधारित क्रियाकलाप संपादित करने के लिए अध्येता किसी अध्यापक से अन्योन्यक्रिया करेगा, जो उस विद्यालय का एक वरिष्ठ अनुभवी अध्यापक/प्रिंसिपल हो सकता है, जहां वह कार्य कर रहा है। इस प्रकार अध्येता का पर्यवेक्षण/निर्देशन कम से कम 15 अध्ययन घंटों के लिए इस परामर्शदाता (मेंटर) द्वारा किया जाएगा।

(ज) *शिक्षण अभ्यास :* अध्येता, जो इस मोड (रीति) में डी.एल.एड. कार्यक्रम में पंजीकृत है, उस विद्यालय के एक वरिष्ठ अध्यापक/शैक्षणिक परामर्शदाता के पर्यवेक्षण में जहां वह कार्य करता है, तीन महीने की अवधि के लिए शिक्षण अभ्यास करेगा। प्रत्येक पाठ, जो वह पढ़ाएगा, उसमें उसे मार्गदर्शन दिया जाएगा, उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा प्रतिपुष्टि भी दी जाएगी। अध्येता को उसके निष्पादन पर पर्यवेक्षक/शिक्षक–अध्यापक द्वारा रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाएगी, जिसके द्वारा उसे उसकी कमियों और सबलताओं दोनों से अवगत कराया जाएगा। इस प्रकार अध्येयता पाठ योजनाओं, पाठों की प्रस्तति और प्रस्तुत किए गए पाठों पर फीडबैक के संबंध में पर्यवेक्षकों/अध्यापक प्रशिक्षकों से चर्चा करेगा। प्रत्येक अध्येयता अपने शिक्षण अभ्यास के बाबत अध्यापक से वैयक्तिक पर्यवेक्षण प्राप्त करेगा।

(झ) मुख्यालय का स्टाफ पाठ्यचर्या, स्व–अधिगम सामग्री, प्रतिमान पाठ–योजनाएं तथा मल्टीमीडिया अधिगम संसाधनों का विकास करेगा जिनका उपयोग अध्ययन केंद्रों पर किया जाएगा। विद्यार्थी को प्रदत्त कार्य दिया जाएगा और उन प्रदत्त कार्यो के मूल्यांकन को कम से कम 25% भारिता दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित परीक्षा निकाय द्वारा बाह्य परीक्षा ली जाएगी। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में स्थित अध्ययन केंद्र शिक्षण अभ्यास तथा कार्यानुभव घटकों की परीक्षा लेंगे। इस के लिए आन्तरिक और बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करना भी अध्ययन केंद्र के अधिकार–क्षेत्र में होगा।

(ञ) **कार्यक्रम आयोजना** : ओ.डी.एल के माध्यम से डी.एल.एड कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान अपनी वैबसाइट बनाएंगे ताकि विद्यार्थी समस्त अधिगम सामग्री तथा संसाधनों का उपयोग कर सकें, अपने समकक्षियों से अन्योन्यक्रिया कर सकें तथा संकाय–विद्यार्थी उपयुक्त सामाजिक मीडिया या नेटवर्किंग सेवाओं पर चर्चा को सुकर बना सकें।

(ट) ओडीएल कार्यक्रमों चलाने वाले सभी संस्थान विद्यार्थी पंजीयन, कार्यक्रम अधिगम केंद्रों की सूची, शैक्षणिक परमर्शदाताओं, मेंटरों, क्षेत्रीय परामर्शदाताओं और उन विद्यालयों, जहां अध्यापक स्थानबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करेगें, संबंधी विवरण अपनी वैबसाइटों पर प्रस्तुत करेंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

(ठ) विश्वविद्यालय/ओडीएल संस्था अपने सभी क्रियाकलाप का एक कैलेंडर तैयार करेंगे जिस में प्रवेश, परामर्श, प्रायोगिक कार्यतथा परीक्षाएं सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्रियाकलाप का संचालन कैलेंडर के अनुसार हो रहा है।

(ड) कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप के कार्यन्वयन के लिए संस्थान नियमावली तैयार करेंगे (अध्येताओं और मैंटरों, परामर्शदाताओं और विशषज्ञों के लिए)

(ढ) सभी ओडीएल संस्थान/विश्वविद्यालय उन अध्ययन केंद्रों के साथ जिन्हें कार्यक्रम संचालन के लिए चुना गया है एक एमओयू निष्पादित करेंगे जिसमें उनके अध्ययन केंद्रों के ओडीएल अध्येताओं को सहायता देने के लिए आधारिक और अन्य सुविधाओं को सांझा करने संबंधी सहयोग और प्रतिबद्धता स्पष्ट होती हो।

6.3 मूल्यांकन

संस्था द्वारा द्वि–सोपान मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगाः सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन और सत्रांत परीक्षा; जिसमें सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन को यथेष्ट भारिता दी जाएगी। इसमें कार्यशाला में भागीदारी और निष्पादन सम्मिलित होगा जैसा कि पाठ्यचर्या ढांचे में निर्धारित किया गया है। अध्येताओं द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्य, रिपोर्टों का मूल्यांकन ट्यूटरों/परमार्शदाताओं द्वारा नियत समय में किया जाएगा और अपनी रचनात्मक टिप्पणियों तथा सुझावों के उन्हें लौटाया जाएगा ताकि वे अपने निष्पादन में सुधार ला सकें। प्रदत्त कार्यों/परियोजनाओं के मूल्यांकन का प्रमुख कार्य अध्येताओ को समयोचित प्रतिपुष्टि प्रदान करना है ताकि उनकी अभिप्रेरणा बनी रहे और समझने की उनकी योग्यता में वृद्धि की जा सके। प्रदत्त कार्य, कार्यशाला आधारित क्रियाकलाप, विद्यालय आधारित क्रियाकलाप तथा शिक्षण अभ्यास का मूल्यांकन सतत् रूप से किया जाना चाहिए। प्रत्येक छात्र–अध्यापक उसके द्वारा पूर्ण किए गए कार्य की एक पोर्टफोलियो तैयार करेगा और इसे वर्ष भर रखेगा। इसका उपयोग आन्तरिक मूल्यांकन के लिए किया जा सकेगा।

सत्रांत परीक्षा का अभिकल्पन तथा संचालन परीक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन क्रमशः 30 : 70 के अनुपात में होगा।

6.4 मानीकरन तथा पर्यवेक्षण

ओडीएल संस्थान एक सुव्यवस्थित मानकरन तन्त्र को लागू करेगा। प्रबोधन की विभिन्न कार्यनीतियां जैसे समय समय पर संकाय द्वारा क्षेत्र–निरीक्षण, अध्येताओं तथा अध्ययन–केन्द्र समन्वयक दोनो से नियमित रूप से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, अध्येताओं के साथ आईसीटी के माध्यम से अन्योन्यक्रिया करना इत्यादि, तथा संस्थानों द्वारा विनिर्दिष्ट रिकार्ड रखना इस प्रक्रिया के कुछ घटक होंगे। अध्येता–संतुष्टि–सर्वेक्षण नियमित आधार पर संचालित किए जांऐगे ताकि मुख्यालय में परामर्शदाताओं तथा संकाय को प्रतिपुष्टि दी जा सकें पाठ्यवस्तु पर प्राप्त प्रतिपुष्टि कार्यक्रम को काफी समय तक जारी रखने तथा उसमें छोटे मोटे संशोधन करने के कार्य को सुसाध्य बनाएगी। समय समय पर कार्यक्रम संरचना तथा इसके कार्यान्वयन का एक व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा।

7. स्टाफ

7.1 मुख्यालय

(i) संस्था या विश्वविद्यालय जो ओडीएल प्रणाली के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाएगा उसकी अपने एकान्तिक 7 सदस्यों की अभ्यन्तर संकाय होगा जिनकी विशेषज्ञता अलग अलग संगत विषय क्षेत्रों में होजैसे–शिक्षाशास्त्र, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, तथा भाषाएं। दूरस्थ–शिक्षा में प्राप्त अर्हता वांछनीय होगी।

संकाय का वितरण निम्नलिखित प्रकार से होगा

प्रोफैसर	एक
रीडर/असोसिएट प्रोफैसर	दो
लेक्चरर	चार

नोट : *{संकाय के विभिन्न पदनाम राज्य सरकार/संस्था नीति के अनुसार होगें}*

(ii) संकाय का दायित्व निम्नलिखित होगा : पाठ्यक्रम रचना, अधिगम संसाधनों का विकास, प्रदत्त कार्यो का मूल्यांकन, अध्ययन केंद्र के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ का दिशा अनुकुलन, अधिगम केंद्रों का मानीकरन व पर्यवेक्षण, पाठ्यचर्याओं का रख–रखाव व संशोधन, कार्यक्रम मूल्यांकन तथा अन्य कार्यकलाप जो विश्वविद्यालय/संस्थान निर्धारित करते हैं।

(iii) प्रत्येक अतिरिक्त 500 विद्यार्थियों की इकाई या उसका अंश जोड़ने पर, संकाय की संख्या में एक सदस्य की वृद्धि हो जाएगी।

(iv) इस ओडीएल कार्यक्रम के लिए संकाय के एक सदस्य को "कार्यक्रम समन्वयक" मनोनीत किया जाएगा। समन्वयक का कार्य होगा संकाय के सदस्यों, मुख्यालय तथा अध्ययन केंद्र के मध्य समन्वय करना।

(v) अध्ययन केंद्रों पर विभिन्न क्रियाकलाप के परियुक्त अध्यापक–शिक्षक/पर्यवेक्षक बी.एड. कार्यक्रम के लिए निर्दिष्ट एनसीटीई के मानदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त होंगे।

7.2 अध्ययन केंद्र

समन्वयक	एक
सहायक–समन्वयक	एक
अंश–कालिक शैक्षणिक परामर्शदाता	आवश्यकतानुसार
प्रशासनिक स्टाफ	आवश्यकतानुसार

नोट : अध्ययन केंद्र पर लगाये जाने वाला (अंशकालिक) स्टाफ सदस्य उसी अध्ययन केंद्र की संकाय में से परियुक्त किए जाएंगे और यदि आवश्यकता पड़े तो क्षेत्रबीन संस्थाओं से वर्तमान और पूर्व अध्यापक शिक्षकों को परियुक्त किया जा सकता है। शैक्षणिक सलाहकार उनके द्वारा अनुपातः 1:30 से बढ़ना कर नहीं होना चाहिए।

7.3 क्षेत्रीय केंद्र

यदि आवश्यकता समझी जाए क्षेत्रीय केंद्र पर भी एक ओडीएल संस्थान स्थापित किए जा सकता है जो इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले अध्ययन केंद्रो के कार्य का समन्वयन कर सके। क्षेत्रीय केंद्र पर निम्नलिखित स्टाफ होगाः

समन्वयक/क्षेत्रीय निदेशक	एक
सहायक समन्वयक/सहायक क्षेत्रीय निदेशक	एक
प्रशासनिक स्टाफ	आवश्यकतानुसार

7.4 अर्हताएं

(क) शिक्षण स्टाफ

शैक्षणिक स्टाफ की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताएं वही होंगी जैसी कि डी.एल.एड. नियमित कार्यक्रम के लिए परियुक्त स्टाफ के लिए निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त ओडीएल प्रणाली में प्राप्त अनुभव को वरीयता दी जाएगी

(ख) मुख्यालय के लिए व्यावसायिक सहयोगी/प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक और अन्य सहायोगी स्टाफ निम्नलिखित प्रतिमानों के अनुसार दिए जाने चाहिए।

1.	कार्यालय प्रबंधक / अधीक्षक	एक
2.	साफ्टवेयर विशेषज्ञ / व्यावसायिक	एक
3.	मूल्यांकन प्रभारी	एक
4.	डेटाबेस अनुरक्षण के लिए कम्प्युटर प्रचालक	एक
5.	कार्यालय सहायक	एक
6.	हैल्पर (अध्ययन सामग्री डिस्पैच करने के लिए)	एक

7.5 स्टाफ की सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें

शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ के सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें, जिसमें चयन प्रक्रिया, वेतनमान, अधिकावधि की आयु तथा अन्य भत्ते सम्मिलित है, वे सभी राज्य सरकार अथवा संबंधन संस्था की नीति के अनुसार होंगे।

8 सुविधाएं

8.1 मुख्यालय पर

सेमिनार कक्षों की पर्याप्त संख्या तथा प्रत्येक संकाय सदस्य के एक एक कैबिन, फोटो कॉपियों के लिए एक ऑफिस कक्ष, विद्यार्थियों संबंधी डेटाबेस, अनुरक्षण के लिए डेटाएन्ट्री ऑप्रेटरों के लिए एक बड़ा कमरा, एक अन्य कक्ष जिसमें अधिगम सामग्री का निर्माण / प्रक्रमण किया जा सके, अधिगम सामग्री के भंडारण और प्रेषण के लिए एक काफी बड़ा स्टोर, पाठों (इकाइयों) को रिकॉर्ड करने तथा सी.डी. निर्माण के लिए एक श्रव्य–दृश्य स्टूडियो, तथा बैठकों / टैलिकाफैसिंग के संचालन के लिए का विस्तृत कॉन्फैंस कक्ष।

टैलिकॉन्फैसिंग / ऑडियो कॉफ्रैंसिग तथा कंप्यूटर कॉन्फ्रैंसिंग सुविधाएं, जिसमें ऑन–लाइन अधिगम तथा मुक्त–प्रौद्योगिकी / मुक्त स्रोत्र साफ्टवेयर (ब्रौड बैंड इन्टरनैट तथा बड़े पैमाने पर एसएमएस सूचना प्रचार–प्रसार के साथ) सुविधाएं वांछनीय हैं। तथापि, जो संस्थान ओडीएल / मोड में अध्यापक–शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं उसे केंद्रीकृत एसएमएस सुविधा ऑनलाइन कॉन्फ्रैंसिंग प्रणाली तथा श्रव्य–दृश्य / रेडियो, टीवी, सीडी–रॉम (CD-Rom) तथा अन्य प्रौद्योगिकी समर्थित अधिगम की विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ओडीएल संस्था में एक प्रतिरूप अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाए जिसमें उपर्युक्त निर्दिष्ट सभी सुविधाएं हों।

8.2 अध्ययन केंद्र में

इस केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं हों

पाठ्यचर्या प्रयोगशाला तथा अधिगम संसाधन केंद्र, शारीरिक शिक्षा कक्ष, कला और शिल्प कक्ष, कार्यशाला या प्रायोगिक, के लिए आई सी टी तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, प्रशिक्षुओं को प्रविधि संबंधी विषयों में व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कमरे, एक शिक्षण–अभ्यास के लिए प्रारंभिक विद्यालय की सुलभता, संपर्क कक्षाएं संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्लास रूम इसके अतिरिक्त, अन्य अपेक्षित सुविधाएं जैसे, टेलिफोन, फैक्स, फोटोकोपियर मशीन, इन्टररनैट कनैक्शन, कम्प्यूटर, श्रव्य–दृश्य प्लेयर, इन्टरऐक्टिव मल्टी मीडिया, सीडी, एडुसैट रिसीव ऑनली (आरओटी)सैटेलाईट, या इन्टरएक्टिव टर्मिनल, एलसीडी प्रोजैक्टरों की आवश्यकता है।

8.3 पुस्तकालय

(क) **मुख्यालय पुस्तकालय**: एक पूर्ण रूपेण सुसज्जित पुस्तकालय होगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में पाठ्यपुस्तकें तथा विद्यालय स्तर के और अध्यापक शिक्षा के संदर्भ ग्रंथ होंगे, अधिगम संसाधन पुस्तकालय, मनोवैज्ञानिक उपकरण, सीडी, विश्वकोष, ऑनलाइन रिसोर्सिस, माध्यमिक अध्यापक शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा के लिए रेफरीड–जर्नल इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में स्व–अधिगम सामग्री सुलभ होनी चाहिए।

(ख) **अध्ययन केंद्र पुस्तकालय** :संपर्क सत्रों की अवधि में विद्यार्थियों द्वारा उन संस्थाओं के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं का उपयोग किया जाएगा जहां अध्ययन केंद्र स्थित हैं।

9 कार्यक्रम की मान्यताप्राप्त करने हेतु आवेदन करने की पूर्वापेक्षाएं

डी.एल.एड (ओडीएल) कार्यक्रम की मान्यता प्राप्ति हेतु राअशिप को आवेदन करने से पहले, विश्वविद्यालय / संस्था को निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी।

(क) एक परियोजना प्रलेख बनाना हेगा जिसमें कार्यक्रम की व्याप्ति / विस्तार संबंधी विवरण, शुल्क ढांचा, विद्यार्थी पंजीयन, संकाय, अधिगम संसाधन, आवश्यक सुविधाओं युक्त अध्ययन केद्र तथा ट्यूटर / परामर्शदाता, कार्यक्रम के निर्माण तथा कार्यन्वयन पर आने वाला अनुमानित खर्च, कार्यक्रम के निर्माण तथा कार्यान्वयन संबंधी भुगतान के प्रतिमान, अध्ययन केंद्र और विशेषज्ञों को अतिरिक्त संकाय, अध्ययन केंद्रों को दिए जाने वाले संसाधन, तथा कार्यक्रम का मानीकरण तथा पर्यवेक्षण संबंधी भुगतान के प्रतिमान।

(ख) कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए संगत विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की स्वीकृति।

(ग) पाठ्यचर्या का निर्माण (पाठ्यक्रम अनुसार तथा इकाई अनुसार) जिसमें मूल्यांकन स्कीम तथा सहायक सेवाएं स्पष्ट की गई हों और यह विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित हो।

(घ) एक निर्धारित प्रारूप में अध्ययन केंद्रों से इस आशय का आश्वासन की अध्ययन केंद्र डी.एल.एड प्रतिमानों का कठोरता से पालन करेगा।

(ड) स्व–अधिगम सामग्री का निर्माण (मुद्रित तथा गैर–मुद्रित) जो दूरस्थ शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो।

(च) स्टाफ चयन प्रक्रिया का प्रारंभ, जैसे विज्ञाप्ति, स्क्रीनिंग, साक्षात्कार तथा चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र।

परिशिष्ट–10

शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला मुक्त और दूर–शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम (बी.एड.) डिग्री के लिए मानदंड और मानक

3. शिक्षाशास्त्र में स्नातक कार्यक्रम जिसे सामान्यतः बी.एड. कार्यक्रम कहा जाता है, एक व्यावसायिक पाठ्यचर्या है **जो उच्च** प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) एवं माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10) तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा (11 से 12) **के लिए** अध्यापक तैयार करता है।

मुक्त तथा दूर अधिगम रूप में सेवारत अध्यापकों के लिए अभि कार्यकल्पिक शिक्षा–स्नातक कार्यक्रम, **जिसे सामान्यतः** बी.एड. कहा जाता है, अध्यापक शिक्षा में द्वितीय डिग्री है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उच्च प्राथमिक, माध्यमिक **तथा उच्चतर** माध्यमिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक सक्षमता में सुधार लाना है, ऐसे अध्यापक जो **बिना कोई** औपचारिक माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण के लिए इस व्यवसाय में आ गए हैं। इसका उद्देश्य ऐसे कार्यरत अध्यापकों **को** माध्यमिक शिक्षा अवस्था के लिए तैयार करना है जो अध्यापक के तौर पर भर्ती होने के लिए न्यूनतम अर्हताओं **के** अनुसार एनसीटीई की अधिसूचना के अनुकूल है। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के अभिकल्पन, विकास और प्रदान **करने** (हस्तांतरित करने) के लिए मिश्रित रीति का उपयोग किया जाएगा।

4. संस्थाओं की पात्रता तथा क्षेत्रीय अधिकार–क्षेत्र

2.1 संस्थाओं की पात्रता

इस अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए जो संस्थाएं पात्र है वे है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा निदेशालय, यूजीसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के मुक्त तथा दूर अधिगम स्कूल जिनकी स्थापना ओडीएल कार्यक्रम चलाने के लिए की गई है समविश्वविद्यालय कृषि, तकनीकी या समवगी संबद्ध विश्वविद्यालय जिनके विशेषज्ञता अध्यापक शिक्षा न हो कर कोई और है, और अन्य विषयात्मक–विशिष्ट विश्वविद्यालय या संस्थाए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए इस ओडीएल पद्धति में पात्र नहीं है।

2.2 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय अथवा संस्थाओं का अधिकार क्षेत्र वही होगा जो उनके अधिनियम में परिभाषित है अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।उस विश्वविद्यालय/संस्थान के अध्ययन केंद्र भी उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित होंगे।

5. अवधि

इस कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र/वर्ष होगी। तथापि, विद्यार्थियों को यह छूट होगी कि वे कार्यक्रम को पांच वर्ष तक की अवधि में पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम का आरंभ तथा समाप्ति इस प्रकार विनियमित होगी कि अध्येताओं को निर्देशित/पर्यवेक्षित शिक्षण अथवा प्रप्यक्ष अध्यापन/संपर्क के लिए अवकाश की दो लम्बी अवधि उपलब्ध हो सके ये अवधियां ग्रीष्म अवकाश, शीत अवकाश या भिन्न भिन्न हो सकती हैं। यह कार्यक्रम प्रत्यक्ष अध्यापन/निर्देशन के दो ग्रीष्म अवकाश के मध्य भी रखा जा सकता है। यह कार्यक्रम अपनी इच्छानुसार और अपनी गति से किए गए स्वअध्ययन से अतिरिक्त होगा।

4. दाखिला, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क

4.1 प्रवेश

इस बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश की मूल इकाई पांच सौ विद्यार्थियों से अधिक नहीं होगी। इसके साथ यह शर्त होगी कि एक अध्ययन केंद्र में एक सत्र में 50 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होगा। अतिरिक्त इकाइयों के लिए अनुरोध एनसीटीई द्वारा इस आधार पर परखा जाएगा कि क्या उस संस्था के पास उनके क्षेत्रीय अधिकार–क्षेत्र में अध्ययन केंद्रों तथा संबंधित सहायता सेवाओं के रूप में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं।

4.2 पात्रता

निम्नलिखित वर्गों के अभ्यर्थी बी.एड. (ओडीएल) में प्रवेश पाने के पात्र हैं:

(i) अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक।